



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228057
CG-DL-E-01072021-228057

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2466]
No. 2466]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ़ 10, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

का.आ. 2658(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे अप्रोच सड़क सहित 4 लेन सुरंग एन एच-15 (पुराना एन एच-52) के किमी. 266.200 उत्तरी किनारा गोहपुर से एन एच-27 (पुराना एन एच-37) के किमी. 417.500 दक्षिणी किनारा तुमालीगढ तक के भूखण्ड के सम्बन्ध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

असम राज्य में ब्रह्मपुत्रा नदी के नीचे अप्रोच सड़क सहित 4 लेन सुरंग एन एच-15 (पुराना एन एच-52) के किमी0 266.200 उत्तरी किनारा गोहपुर से एन एच-27 (पुराना एन एच-37) के किमी. 417.500 दक्षिणी किनारा नुमालीगढ़ तक के भूखण्ड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-37 विनिष्ट किया जाना है, तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	एडिशनल डिप्टी कमिश्नर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH52 के कि.मी. 0 से 33.8 तक	असम	गोलाघाट	खूंटे	1 बन बगीसा

[फा. सं. 800005/G-N/LA/NHIDCL/Tez]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2021

S.O. 2658(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land for building (widening/ four-laning, etc.) maintenance, management and operation for four lane tunnel including approach road under river Brahmaputra from km 266+200 on NH-15 (old NH-52) Gohpur on north bank to Km 417+500 on NH-27 (old NH-37) Numaligarh on south bank on Greenfield alignment across River Brahmaputra in the state of ASSAM.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of the stretch of land for Construction, maintenance, management and operation of four lane tunnel including approach road under river Brahmaputra from km. 266+200 on NH-15 (old NH-52) Gohpur on north bank to Km. 417+500 on NH-27 (old NH-37) Numaligarh on south bank on Greenfield alignment across River Brahmaputra in the State of ASSAM.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Additional Deputy Commissioner	0KM To 33.8KM	ASSAM	GOLAGHAT	Khumtai	1 Ban Bagisa

[F. No. 800005/G-N/LA/NHIDCL/Tez]

RAJESH GUPTA, Director